

प्रेषक,

चन्द्र शेखर सिंह
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर

पटना, दिनांक- , 2017

विषय:-

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या-183/4/30/2013-WC दिनांक-27.11.2015 में पारित आदेश के आलोक में श्री श्रवण साह, पिता-बोतल साह, ग्राम-चाकलो कमान, वार्ड नं0-9, गुदरी रोड, थाना-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र भुगतान हेतु में आदेश/राज्यादेश संख्या-3149 दिनांक-19.04.2017 द्वारा स्वीकृत राशि के मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष- 2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम -उप शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विषय शीर्ष-3102- अनुग्रह अनुदान, विपत्र कोड-N2235602000011 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से कुल ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-

2.

स्वीकृत।
श्री श्रवण साह, जिला-समस्तीपुर को मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को निम्नवत राशि आवंटित की जाती है:-

| वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को पूर्व में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को वर्तमान में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को कुल आवंटित राशि |
|---|---|---|
| ₹00/- (शून्य) | ₹1,00,000/- (एक लाख) | ₹1,00,000/- (एक लाख) |

- उक्त आवंटित राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विषय शीर्ष-3102-अनुग्रह अनुदान, विपत्र कोड-N2235602000011 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- उक्त राशि जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा यथा विषयांकित पीड़ित श्री श्रवण साह के भुगतान हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को उपलब्ध करायी जा रही है।
जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।
- उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर होंगे।
- उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर से की जायगी।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की होगी।
- जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का यह दायित्व होगा कि खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

9. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा मात्र उक्त पीड़ित के मुआवजा भुगतान के लिए किया जायेगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।
10. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2017-18 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।
11. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।
12. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(चन्द्र शेखर सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-..... पटना, दिनांक-....., 2017
प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-/ पटना, दिनांक, 2017
प्रतिलिपि :- उप निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, ब्लॉक सी0, जी0पी0ओ0 कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110023 को उनके पत्रांक/वाद सं0-183/4/30/2013-WC दिनांक-27.11.2015 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-3150...../ पटना, दिनांक-.....19/4/....., 2017
प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव